

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
राज्य स्तरीय प्रेस मान्यता नवीनीकरण वर्ष 2022 एवं 2023 हेतु प्रारूप

संस्थान का विवरण						
क्र०सं०	मीडिया प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	कार्ड सं०	फोन/मोबाइल नं०	ई-मेल	आवासीय पता

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मीडियाकर्मी वर्तमान में उक्त संस्थान में कार्यरत है और आगामी वर्ष 2022 एवं 2023 में भी उक्त संस्थान में पूर्णकालिक प्रतिनिधि/श्रमजीवी पत्रकार के रूप में कार्यरत रहेंगे। यदि इस परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन होता है तो इस संबंध में सूचना निदेशक महोदय को संस्थान द्वारा विधिवत लिखित रूप में सूचना प्रेषित/उपलब्ध कराई जायेगी।

नवीनीकरण हेतु अनिवार्य संलग्नक:-

1. सम्पादक की संस्तुति पत्र।
2. संस्थान से प्राप्त अद्यतन 6 माह की वेतन पर्ची।
3. तहसील से निर्गत निवास प्रमाण पत्र/वोटर आईडी/आधार कार्ड/पासपोर्ट/बिजली बिल/रेंट एग्रीमेंट।
4. संस्थान में सेवायोजन का प्रकार पूर्णकालिक, अंशकालिक, रिटेनरशिप या संविदा।
5. संविदा की स्थिति में अवधि एवं समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
6. अद्यतन डी०ए०वी०पी० दर प्रति/आर०एन०आई० द्वारा निर्गत प्रसार प्रमाण पत्र।
7. न्यूज/फीचर/फोटो फीचर एवं अन्य एजेंसी हेतु सी०ए० द्वारा टर्न ओवर तथा सब्सक्राइबर की सूची।
8. इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों को प्रदत्त अपलिकिंग प्रमाण पत्र।
9. प्रत्येक दशा में प्रारूप को जमा करने की अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर, 2021 होगी।
10. पुराना प्रेस मान्यता कार्ड वापस/जमा करने पर ही नया कार्ड निर्गत किया जायेगा।
11. अपरिहार्य कारणों से मान्यता कार्ड संख्या में परिवर्तन सम्भावित।

संस्तुति कर्ता के नाम व हस्ताक्षर/मोहर युक्त/मोबाइल नम्बर